संख्या-12/2015/1-ई.एम./2011-का-4-2015

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 29 सितम्बर, 2015

विषयः-प्रान्तीय संगठनों की भांति, मण्डल/जिला स्तरीय मान्यता प्राप्त सेवा संघों/महासंघों/परिसंघों/परिषदों के अधिवेशन हेतु विशेष अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

सरकारी सेवकों के प्रान्तीय संगठनों के वार्षिक अधिवेशनों हेतु, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 30.6.2014 द्वारा मान्यता प्राप्त एवं गैर विवादित संघों/परिसंघों/महासंघों के द्विवार्षिक अधिवेशनों में प्रतिभाग करने वाले प्रतिनिधियों को अधिकतम 02 दिनों का विशेष अवकाश प्रदान किये जाने के संबंध में आदेश निर्गत किये गये थे। उक्त शासनादेश दिनांक 30.6.2014 की भांति ही मण्डल/जिला स्तरीय मान्यता प्राप्त सेवा संघों/महासंघों/परिसंघों/परिषदों के अधिवेशन/चुनाव हेतु 02 दिन के विशेष अवकाश स्वीकृत किये जाने का अनुरोध संघों द्वारा किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मण्ड्ल/जिला स्तरीय मान्यता प्राप्त सेवा संघों/महासंघों/परिसंघों/ परिषदों के अधिवेशन/चुनाव हेतु प्रान्तीय संगठनों की भांति 02 दिन के विशेष अवकाश स्वीकृत किये जाने का सम्यक् विचारोपरान्त औचित्य नहीं पाया गया। मण्डल/जिला स्तरीय संघों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने अधिवेशन/चुनाव यथासम्भव द्वितीय शनिवार एवं रविवार के सार्वजनिक अवकाशों में ही करायें और यदि विशेष परिस्थितियों में किसी कार्य दिवस में अधिवेशन/चुनाव कराया जाना आवश्यक हो, तो अपने विभाग से आकस्मिक अथवा अन्य अवकाश स्वीकृत कराकर अधिवेशन/चुनाव करायें। विशेष अवकाश स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या-1-ई.एम./2011(1)-का-4-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. निजी सचिव, मा. मंत्रिगण।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. विशेष कार्याधिकारी, सूचना, मा. मुख्य मंत्री जी।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

रघुनाथ सिंह परिहार
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in